रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 1975/श्रावण 21, 1897
No. 304] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 1975/SRAVANA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th August 1975

S.O. 428(E).—The following modification which the Central Government proposes to make to the zoning regulations applicable to the residential plots in the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

Modification:

For the words, "the minimum plot size for this sort of development is one acre", occurring at page 58 of the Master Plan for Delhi, the following words may be substituted, namely:—

"In respect of plot size of less than one acre, group-housing would be permitted subject to foot note (3) on page 55", as proposed for amendment *vide* notification No. F.20(4)/75-M.P. published on 28th July, 1975 by the Delhi Development Authority, on behalf of the Central Government in the Gazette, Extraordinary under S.O. 390(E), Part II—Section 3—Sub-section (ii).

The proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days, except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(4)/75-MP]
H. N. FOTEDAR, Secy.
Delhi Development Authority.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० आ० 428 (अ).—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में आवासीय भूखंडों पर लागू किये जाने वाले क्षेत्रीय नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह अपने आपत्ति/सुझाव इस शापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव दें वे अपना नाम व पूरा पता भी लिखें।

संशोधन

"इस प्रकार के विकास के लिये भूखंड का न्यूनतम आकार एक एकड़ है", दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 58 पर इसे निम्न प्रकार रखा जाय—

"एक एकड़ से कम के आकार के भूखंड के संबंध में पृष्ठ 55 के निम्न नोट (3) के आधार पर अनुमति दी जायगी, प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना जो संख्या एफ 20(4)/75 दिनांक 28 जुलाई, 1975 को गजट, असाधारण, एस० ओ० 390 (ई), पार्ट 2—धारा 3—उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी।

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रपस्था इस्टेट, नई दिल्ली—1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोध. का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ-20(4)/75-एम० पी०]

एच० एन० फोत्तेदार, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975